न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजि0,

चौमूँ, जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :------/2016

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 सी पी सी

1. मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला ब्रीवरेज प्रा0लि0, एस.पी. 39-40, रीको इण्डस्टीज एरिया, कालाडेरा, तह0 चौमूँ, जिला जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि एवं हस्ताक्षरकर्ता प्रदीप पंघाल (टीम लीडर एच आर)

-वादी

बनाम

1. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी-13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये अध्यक्ष लालचंद यादव एवं ग्राम खपरिया , पोस्ट अनूपपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर
2. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी-13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये उपाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव एवं ग्राम खनीपुरा तह0 चौमूँ, जिला जयपुर
3. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी-13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये संयुक्त मंत्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री मेवाराम रेगर एवं ग्राम अनूपपुरा तह0 आमेर, जिला जयपुर
4. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी-13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये संगठन मंत्री विजेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह एवं ग्राम खनीपुरा तह0 चौमूँ, जिला जयपुर

5. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी–13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये कार्यालय मंत्री तेजाराम बुनकर पुत्र श्री बिरदाराम एवं ग्राम खपरिया तह0 आमेर जिला जयपुर

6. जयपुर ठेकेदारान वर्कर्स यूनियन (सीटू) से संबंध , बी–13, शान्ति नगर, एन बी सी के सामने खातीपुरा रोड जयपुर जरिये प्रचार मंत्री श्री प्रकाश टोड़ावत पुत्र श्री कालूराम टोडावत

7. मैसर्स एम.एस. एन्टर प्राईजेज जरिये मनोहर सिंह ठेकेदार , 17 करणी कॉलोनी, शान्ति नगर खातीपुरा रोड जयपुर

8. आलोक लेबर ओरगोनाइजेंशन जरिये प्रतिनिधि राजेन्द्र बलवंत ग्राम नरसिंहपुरा तह0 चौमूँ, जिला जयपुर

9. वीर मैन पावर सर्विसेज जरिये प्रतिनिधि सीताराम डागर ढ़ाणी पचेरिया कालाडेरा, तह0 चौमूँ, जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>श्रीमान जी,</u>

वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि वादी संस्थान एक प्राईवेट लि0 कम्पनी है जो कि कम्पनीज अधिनियम के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत है [redacted] है तथा उसकी इकाई एस पी 39–40, रीको इण्ड्स्टीज एरिया कालाडेरा जिला जयपुर में स्थित है । कम्पनी की ओर से वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने एवं समस्त

न्यायिक कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्व करने बाबत अधिकृत किया है।

2. यह कि वादी संस्थान में सौफ्सट ड्रिंक " कोकाकोला ब्रॉण्ड के नाम से सीतल पेय पदार्थ का निर्माण एवं उत्पादन किया जा रहा है एवं उनकी संस्थान में उत्पादित माल की पैकिंग कर डिस्टी ब्यूटरर्स नियुक्त कर विकय किया जा रहा है। वादी संस्थान का उत्पादन दिसम्बर 1999 से लगातार जारी है।

3. यह कि वादी संस्थान में सभी तरह के कार्य का निष्पादन करने हेतु करीबन 100 से 115 के करीब स्थायी कर्मचारी है तथा लगभग 165–170 कॉनट्रेक्ट लेबर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 से अनुबंध करके कार्य कर रहे है।

4. यह कि वादी संस्थान द्वारा कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार वेतनमान व सुविधाऐं दी जा रही है।

5. यह कि वादी संस्थान में अनुबंध पर कार्यरत श्रमिकों की एक यूनियन जयपुर ठेकेदारान वकर्स यूनियन (सीटू)से संबंध गठित कर रखी है। जिसके प्रतिनिधि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है जिनका वादी संस्थान से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब व्यक्ति /कर्मचारी प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के अधीनस्थ उनके निर्देशानुसार कार्यरत है जिनका वादी संस्थान से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उक्त श्रमिकों के कार्य का अनुबंध प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने वादी संस्थान ने किया है। उक्त अनुबंध दिनांक 31.12.2015 को समाप्त हो चुका था। लेकिन एक माह के लिये अवधि बढ़ायी गयी और31.01.2016 को अनुबंध की अवधि समाप्त हो गयी।

6. यह कि वादी संस्थान में स्थापित उत्पादन करने वाली मशीने काफी पुरानी हो गयी है जिसके कारण उत्पादन करने में लगातार कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं उत्पादन का लागत मूल्य अधिक आ रहा है जिसके कारण लगातार बिजनीस लोस हो रहा है एवं बिजनीस वाइबिलिटी [redacted] रखने में लगातार परेशानी उत्पन्न हो रही है एवं रॉ मैटेरियल व जमीन से भूमिगत से प्राप्त होने वाले पानी में भी क्षमता क्षीण हो गयी है एवं व्यवसायिक लाभ नहीं होकर लगातार आर्थिक क्षति हो रही है। जिसके कारण वादी संस्थान ने दिनांक 25.01.2016 को उत्पादन कार्य को पूर्णतया बंद कर दिया है एवं भविष्य में भी उत्पादन कार्य पुनः चालू होने की कोई संभावना नहीं है।

7. यह कि वादी संस्थान में उत्पादित माल जो स्टोरेज है केवल उसको विक्रय एवं डिस्ट्रीब्यूशन करना है ।

8. यह कि दिनांक 03.02.2016 को यूनियन के प्रतिनिधि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं वादी संस्थान से अनुबंध कि गयी फर्मे प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के बीच में वार्ता हुयी जिसमें उन्होंने आपस में मांग रखी जिसका वादी संस्थान से कोई सरोकार नहीं है एवं ठेकेदारी फर्मो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को लिखित में ऐलानिया धमकी दी कि <u>05.02.2016 तक कोई जवाब नहीं दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 दिनांक 08.02.2016 या 09.02.2016 को वादी संस्थान के गेट के सामने झंडे के नीचे आंदोलन जारी किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी कम्पनी की होगी।</u> उक्त वार्ता की मूल प्रतिलिपि प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने वादी संस्थान को दी हे।

9. यह कि वादी संस्थान एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के बीच जो अनुबंध श्रमिको को ठेके पर रखने का था वह समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को वादी संस्थान के परिसर के बाहर एवं अन्दर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन , अनैतिक गतिविधिया करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

10. यह कि वादी संस्थान में कार्यरत अन्य श्रमिकों को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा काम काम नहीं करने की धमकी दी जा रही जिसके कारण वादी संस्थान में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों में दहशत उत्पन्न हो गयी है एवं उनके साथ प्रतिवादीगण किसी भी वारदात कर सकते है एवं प्रतिवादीगण व अन्य श्रमिकों ने वादी संस्थान की फैक्ट्री परिसर व उसके आस पास में तनाव पूर्ण माहौल उत्पन्न कर दिया है एवं फैक्ट्री में आने जाने वाले व्यक्तियों व माल के ट्क आने जाने वाले , माल लोड़िग व अनलोड़िग करने आदि सभी में व्यवधान उत्पन्न होना शुरू हो गया है। जबकि वादी संस्थान का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से एवं अन्य कार्यरत ठेकेदार श्रमिकगण से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब वादी संस्थान के कोई भी नियमित कर्मचारी /श्रमिक नहीं है।

11. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा 03.02.2016 को की गयी मीटिंग की प्रति में पाइंट संख्या 5 में एलानिया धमकी व आंदोलन करने का उल्लेख किया है एवं खुली चेतावनी दी है कि फैक्ट्री के बाहर दिनांक 08.02.2015 को आंदोलन किया जावेगा एवं फैक्ट्री में कोई कार्य नहीं करें। यदि कार्य किया गया तो बुरे अंजाम के लिये तैयार रहे । इस कारण से

वादी संस्थान का कार्य वर्तमान में पूर्णतया ठप हो गया है। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना अति आवश्यक हो गया।

12. यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा दिनांक 03.02.2016 को एलानिया धमकी वादी संस्थान को दिये जाने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। एंव वादी संस्थान की व्यवसायिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी संस्थान के बहुमूल्य एवं बहुराष्ट्रीय पार्टियों /डिस्ट्रीब्यूटरर्स को समय पर माल नहीं देने के कारण ऑडर्स समाप्त करने की नौबत आ सकती है जिससे संस्थान को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पडेगा एवं संस्थान की आय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

13. यह कि वादी संस्थान को उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण को पाबंद करवाये कि कोई नाजायज जबरन हरकतें संस्थान के अन्दर एवं बाहर 1000 मीटर क्षेत्र में नहीं करें ना ही अन्य व्यक्ति/संस्थान से करवायें।

14. यह कि वाद कारण दिनांक 03.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं 7 लगायत 9 की मीटिंग में पारित बिन्दुओं की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुआ जो लगातार जारी है। इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

15. यह कि माननीय न्यायालय को उक्त वाद पत्र सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार प्राप्त है।

16. यह कि वाद कामूल्यांकन बाबत निषेधाज्ञा 400रूप्ये कायम की जाकर 10 रूपये न्यायशुल्क पर वाद पत्र पेश है।

17. यह कि वाद पत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी संस्थान का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी फरमाया जाकर स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व अन्य श्रंमिकों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी संस्थान की औद्योगिक इकाई एस पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया कालाडेरा में स्थित है से 1000 मीटर की परिधि में किसी भी श्रमिक अधिकारी, ग्राहक, व्यापारियों , कच्चा एवं उत्पादित माल इत्यादिके लिये वाहन आने जाने में एवं संस्थान में कार्य करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान/एजेन्ट,सर्वेन्ट आदि से करवाये। एव ना ही संस्थान के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभ्रद व्यवहार एवं मारपीट गाली गलोच ना तो स्वयं करें ना ही श्रंमिकों को किसी प्रकार की क्षति कारित करें एवं फैक्ट्री परिसर के 1000 मीटर क्षेत्र में अन्दर एवं बाहर मुख्य गेट के बाहर व सामने ना तो कोई टेन्ट लगावे ना ही किसी प्रकार की कोई मीटिंग नारेबाजी, प्रदर्शन, शौरशराबा , धरना इत्यादि ना स्वयं करें एव ना ही अन्य व्यक्ति,एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करवाये ना ही किसी प्रकार का न्यूसेंस उत्पन्न करें।